राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 03.04.2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.03.2020 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान (विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसे आदि) कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि को दिनांक **30 मार्च, 2020 तक बन्द रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश में** मेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलजों पर उक्त रोक लागू **नहीं** के निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि नर्सिंग एवं फार्मेसी के अधिकाशं कॉलजों को संबंधित प्राचार्यो के द्वारा बन्द कर दिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलजों को अविलम्ब चालू कर इनकी सेवाओं का उपयोग (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु किया जावे।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.।
5. समस्त जिला कलक्टर, राज.।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
9. प्राचार्य समस्त नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलेज, राजस्थान।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
11. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव